

प्रेषक,

जिला न्यायाधीश
अमरोहा।

सेवा में,

श्री अवनीश कुमार जयसवाल,
उपनिबन्धक (एम),
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद

पत्रांक 589 / 20 लेखा न्याय विभाग जनपद न्यायालय अमरोहा दि० 27-5-20

विषय : श्री सुरेश चन्द-1, अपर जिला न्यायाधीश-पॉक्सो अमरोहा का पेंशन प्रकरण प्रेषित किये जानें के सम्बन्ध में:-

महोदय,


उपरोक्त विषय पर अनुरोध है कि कार्यालय अभिलेखानुसार श्री सुरेश चन्द-1, अपर जिला न्यायाधीश-पॉक्सो अमरोहा दिनांक 31.07.2020 को अधिवर्षिता पूर्ण करने पर न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त हो रहें हैं। उक्त श्री सुरेश चन्द, न्यायिक अधिकारी का पेंशन प्रकरण तीन प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे पेंशन प्रकरण को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु रखने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक :

भवदीय


जिला न्यायाधीश
अमरोहा।
जनपद न्यायाधीश
अमरोहा

संलग्नक:-

- 1- श्री पेंशन प्रकरण तीन प्रतियों में बन्धपत्र सहित
- 2- अदेय प्रमाण-पत्र की छाया प्रतियां।
- 3- राजकीय देय के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत पत्र की छाया प्रति

पेंशन / सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी / राशिकरण के लिए प्रार्थना-पत्र
(फार्म भरने से पूर्व भग 6 में उल्लेखित निर्देश पढ लिये जायें)

सेवा में.

श्री अवनीश कुमाय जयसवाल
उप निबंधक (विविध)
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

महोदय,

मेरा विवरण निम्नवत् हैं मुझे पेंशन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पेंशन का राशिकरण करने की कृपा करें।

1- नाम

श्री सुरेश चन्द-1

2- पिता / पति का नाम

श्री बलराम सिंह

3- सेवानिवृत्ति के पश्चात का पता :-
(क) (स्थायी निवास)

मकान नं0-0-72
विस्टा विला
अंसल टाउन
मोदीपुरम बाई पास मेरठ
उत्तर प्रदेश

(ख) पत्र व्यवहार का पता

मकान नं0-0-72
विस्टा विला
अंसल टाउन
मोदीपुरम बाई पास मेरठ
उत्तर प्रदेश

4- जन्म तिथि

01 अगस्त 1960

5 - सेवा प्रारम्भ करने की तिथि

20 मार्च 1996

6 - सेवा निवृत्ति की तिथि

31 जुलाई 2020

7- अन्तिम पद , जहाँ से सेवानिवृत्त हुए का पदनाम
कार्यालय एवं विभाग का नाम

अपर जिला जज (पोस्को)
अमरोहा।

8- मृत्यु होने की दशा में नामनी का नाम एवं पता जिसे
जीवनकालीन अवशेष का भुगतान किया जाय


श्रीमती कमलेश
मकान नं0-72, विस्टा विला
अंसल टाउन मोदीपुरम बाईपास
मेरठ, उ0प्र0-


9- पेंशन का भाग या पेंशन की धनराशि जिसका
राशिकरण अपेक्षित है।

50%

10- भुगतान जिस कोषागार से आहरित करना चाहते है।

मेरठ




जनपद न्यायाधीश
अमरोहा
27 MAY 2020

11 - परिवार का विवरण

क्र० सं०	परिवार के सदस्यों के नाम	जन्म तिथि	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	विवाहित / अविवाहित	पता
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती कमलेश	01.01.1970	पत्नी	विवाहित	मकान नं०-0-72 विस्टा विला, अंसल टाउन मोदीपुरम बाई पास मेरठ उत्तर प्रदेश
2	श्री राजन कुमार सिंह	02.11.1992	पुत्र	अविवाहित	मकान नं०-0-72 विस्टा विला, अंसल टाउन मोदीपुरम बाई पास मेरठ उत्तर प्रदेश
3	श्री विकास कुमार सिंह	14.12.1995	पुत्र	अविवाहित	मकान नं०-0-72 विस्टा विला, अंसल टाउन मोदीपुरम बाई पास मेरठ उत्तर प्रदेश
4	श्री अंकुर सिंह	23.02.1997	पुत्र	अविवाहित	मकान नं०-0-72 विस्टा विला, अंसल टाउन मोदीपुरम बाई पास मेरठ उत्तर प्रदेश

भवदीय भवदीया,

(सरकारी सेवक के हस्ताक्षर)

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया उपर्युक्त विवरण सही है। मुझे नियमानुसार के पेन्शन / सेवा ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी तथा पेन्शन का राशिकरण स्वीकृत कर दिया जाय। मैं भलीभांति अवगत हूँ कि यदि मुझे इस प्रार्थना-पत्र के आधार पर उपर्युक्त मदों में भुगतान की गयी धनराशियाँ नियमानुसार अनुमन्य धनराशियों से अधिक पायी जायेगी तो मुझे अधिक प्राप्त धनराशियाँ वापिस करनी होंगी। मैं वचन देता हूँ कि मुझे उपरोक्तानुसार आगणित वास्तविक धनराशि की स्वीकृति के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के पुनरीक्षित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी और मैं अधिक प्राप्त धनराशि को तत्काल शासन को वापस कर दूँगा।

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर

दो साक्षी जिनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये (यथा सम्भव उसी कार्यालय के सदस्य होने चाहिए जहाँ से सेवानिवृत्त हुए)

1- नाम - राजपाल
पदनाम - प्रभार कर
पता - जनपद न्यायालय अमरोहा
हस्ताक्षर - [Signature]

2- नाम - सुद्विष अशोक
पदनाम - निरीक्षक
पता - जनपद न्यायालय अमरोहा
हस्ताक्षर - [Signature]

(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

जनपद न्यायालय
अमरोहा

27 MAR 2020

प्रपत्र-2
अन्तिम देय प्रमाण-पत्र

प्रेषक,
जिला न्यायाधीश
अमरोहा।

सेवा में,
श्री अवनीश कुमार जयसवाल
उप निबंधक (विविध)
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

पत्रांक दिनांक

विषय:- पेंशन प्रपत्रों का अग्रसारण-

महोदय,

इस कार्यालय के श्री सुरेश चन्द-1, अपर जिला जज (पोस्को), अमरोहा के पेंशन प्रपत्र आपको पत्र संख्या.....दिनांक.....द्वारा स्वीकृतार्थ अग्रसारित जा रहे हैं। उपरोक्त न्यायिक अधिकारी के द्वारा दिनांक 31.07.2020 को अधिवर्षिता पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होने पर कार्यभार छोड़ने वाले हैं।

2- उपरोक्त अधिकारी के अन्तिम दस माह की वास्तविक परिलब्धियों के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित सूचना के उपरान्त कोई परिवर्तन नहीं हुआ है/निम्न परिवर्तन हुआ है-

अन्तिम दस माह की औसत परिलब्धियों का आगणन-

माह का नाम	परिलब्धियां
..... 07/2020.....65830+30 % अन्तरिम सहायता	19749 अन्तरिम सहायता
..... 06/2020 65830+30 % अन्तरिम सहायता	19749 अन्तरिम सहायता
... 05/2020 65830+30 % अन्तरिम सहायता	19749 अन्तरिम सहायता
04/2020.....65830+30 % अन्तरिम सहायता	19749 अन्तरिम सहायता
03/20 64450+30% अन्तरिम सहायता	19335 अन्तरिम सहायता
02/2020.. 64450+30 % अन्तरिम सहायता	19335 अन्तरिम सहायता
.....01/2020. 64450+30 % अन्तरिम सहायता	19335 अन्तरिम सहायता
..... 12/2019 64450+30 % अन्तरिम सहायता	19335 अन्तरिम सहायता
11/2019...64450+30 % अन्तरिम सहायता	19335 अन्तरिम सहायता
10/2019 64450+30 % अन्तरिम सहायता	19335 अन्तरिम सहायता
1- 01/ 10/2019.-31.03.2020 64450+30% अन्तरिम सहायता	19335 अन्तरिम सहायता x6
	10
	64450+ 19335-00 x6
	10
योग =	50271-00
2- 01.04.2020 - 31.07.2020 65830+30 % अन्तरिम सहायता	19749 अन्तरिम सहायताx4
	10
1- औसत परिलब्धियां	65830+19749x4
	10
	= 34231.60 अर्थात 34232-00
	=
कुल योग औसत परिलब्धियों	= 50271+ 34232
	= 84,503-00

जनपद न्यायाधीश
अमरोहा
27 Mr. 2020

3- इस कार्यालय के उपर्युक्त पत्र दिनांकनिल..... को उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध निम्नलिखित धनराशि शेष दर्शायी गयी थी:-

1- भवन निर्माण अग्रिम	रु0X.....
2- मोटर कार / मोटर साइकिल / स्कूटर मोपेड अग्रिम	रु0X.....
3- किसी अन्य प्रकार का अग्रिम	रु0X.....
4- सरकारी आवास से सम्बन्धित धनराशि	रु0X.....
5- आडिट के परिणाम स्वरूप देय धनराशि	रु0X.....
6- विभागीय अथवा अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप धनराशि	रु0X.....
7- अन्य मदों (मद स्पष्ट की जाये) के अन्तर्गत देय धनराशि	रु0X.....

4- उपरोक्त सरकारी सेवक द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्त के दिनांक तथा उपर्युक्त सभी धनराशि का भुगतान कर दिया गया है / निम्न धनराशि शेष है:-

1- भवन निर्माण अग्रिम	रु0X.....
2- मोटर कार / मोटर साइकिल / स्कूटर मोपेड अग्रिम	रु0X.....
3- किसी अन्य प्रकार का अग्रिम	रु0X.....
4- सरकारी आवास से सम्बन्धित धनराशि	रु0X.....
5- आडिट के परिणाम स्वरूप देय धनराशि	रु0X.....
6- विभागीय अथवा अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप धनराशि	रु0X.....
7- अन्य मदों (मद स्पष्ट की जाये) के अन्तर्गत देय धनराशि	रु0X.....

8- उपरोक्त सरकारी सेवक के विरुद्ध सेवानिवृत्ति के दिनांक को लम्बित न्यायिक / विभागीय जांच की स्थिति निम्नवत् है:-

5- उपरोक्त सरकारी सेवक को कार्यालय आदेश संख्याX..... दिनांकX..... जिसकी प्रति आपको भी प्रेषित की गई है द्वारा रु0X..... धनराशि अन्तिम सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जा रही है / चुकी है।

आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति / मृत्यु ग्रेच्युटी से उपरोक्त प्रस्तर 4 में सेवानिवृत्ति / मृत्यु के दिनांक को देय कुल रु0X..... की कटौती करके तथा अन्तिम पेंशन एवं सेवानिवृत्त / मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकृत करके अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने की कृपा करें।

भवदीय

(कार्यालयध्यक्ष के हस्ताक्षर)


संख्या

दिनांक

प्रतिलिपि:-

1- कोषाधिकारी मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि वे उपर्युक्त अधिकारी / कर्मचारी की सेवानिवृत्ति / मृत्यु ग्रेच्युटी से उपरोक्त प्रस्तर -4 के अनुसार कटौती करके (यदि ऐसी कटौती मुख्य लेखाधिकारी / निदेशक पेंशन के स्तर से सूचित न की गयी हो) अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करें। यदि उपर्युक्त अधिकारी / कर्मचारी द्वारा ऐसी धनराशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका हो तो अपने स्तर पर उसके सम्बन्ध में आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करके ग्रेच्युटी की शेष धनराशि अवमुक्त कर दें।

2- श्री सुरेश चन्द-1, अपर जिला न्यायाधीश (पोस्को) अमरोहा को सूचनार्थ प्रेषित
भवदीय


(कार्यालयध्यक्ष के हस्ताक्षर)
जनपद न्यायाधीश
अमरोहा

27 MAY 2020

भाग-3
प्रार्थी का विवरण

1- सरकारी सेवक का नाम, पदनाम तथा कार्यालय का नाम

श्री सुरेश चन्द-1
अपर जिला न्यायाधीश (पोस्को)
अमरोहा।

2- सरकारी सेवक की मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन/
मृत्यु ग्रेच्युटी हेतु प्रार्थी का नाम तथा सरकारी सेवक से
सम्बन्ध

श्रीमती कमलेश (पत्नी)

3- नमूने के हस्ताक्षर :-

(क) सरकारी सेवक के (उसके जीवित रहने पर करवाये जायेंगे)

1-
2-
3-

(ख) सरकारी सेवक की पत्नी / पति या अन्य प्रार्थी के (उसके
जीवित रहने अथवा मृत्यु होने दोनों दशाओं में करवाये
जायेंगे)

1-
2-
3-

4- यदि सरकारी सेवक या उसकी पत्नी / पति अथवा अन्य प्रार्थी
अंग्रेजी, हिन्दी अथवा उर्दू में हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो
दाये अथवा बायें हाथ के अंगूठे एवं उंगलियों के निशान:-

(क) सरकारी सेवक के

(ख) पत्नी /पति या अन्य प्रार्थी के

5- व्यक्तिगत पहचान :-

(क) सरकारी सेवक की ऊचाई
(ख) सरकारी सेवक की पहचान चिन्ह

170 CM
आँख के नीचे दायी तरफ तिल

6. सरकारी सेवक की पत्नी के साथ संयुक्त फोटो




जनपद
अम

विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष के दिनांक सहित
हस्ताक्षर, नाम तथा पदनाम

भाग-4 सेवा का इतिहास

सरकारी सेवक का नामश्री सुरेश चन्द-1, अपर जिला जज (पोस्को), अमरोहा।

क्रमांक है	कब से कब तक	पद का नाम जिस पर कार्य किया सहित अवकाश साधारण अवकाश,निलम्बन, प्रोन्नति, पदावन्ति, प्रतिनियुक्ति व्यवधान की अवधियों भी अंकित की जाये	स्तम्भ 3 में दर्शाई गई अवधि का प्रकार	यदि कोई अवधि पेन्शनयुक्त नहीं तो कारण सहित इसका दिया जाये।
1	2	3	4	5
01.	20-03-1996 - 29-04-1999		अति० सिविल जज (जू०डि०) मेरठ ।	
02.	29-04-1999 - 05.06.1999		सिविल जज (जू०डि०) मेरठ ।	
03.	07-06-1999 - 23-08-1999		अति० सिविल जज (जू०डि०) काशीपुर (उधमसिंह नगर स्थित रुद्रपुर)	
04.	23-08-1999 - 05-06-2000		न्यायिक मजि०काशीपुर (उधमसिंह नगर स्थित रुद्रपुर)	
05	07-06-2000 - 24-12-2001		अति०सि०जज (जू०डि०) सहारनपुर।	
06	24-12-2001 - 06.06.2002		सि०जज (जू०डि०) सहारनपुर।	
07-	06.06.2002 - 18.07.2003		न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर।	
08-	19.07.2003-15.12.2003		सि०जज (जू०डि०) शहाजहाँपुर ।	
09-	16.12.2003-21.09.2005		अति०सि०जज (सी०डि०)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,शहाजहाँपुर।	
10-	21.09.2005-06.06.2006		सि०जज (सी०डि०),शहाजहाँपुर।	
11-	08.06.2006 - 15.12.2008		अति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खुर्जा, बुलन्दशहर।	
12-	16.12.2008 - 07.06.2010		अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-फरुखाबाद।	
13-	09.06.2010- 13.08.2010		अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-महाराजगंज।	
14-	16.08.2010 - 01.04.2011		अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सहारनपुर।	
15-	01.04.2011 - 15.04.2014		अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सहारनपुर।	
16-	17.04.2014- 08.05.2017		अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०-कासगंज।	
17-	09.05.2017- 20.02.2018		अपर जिला न्यायाधीश-त्वरित न्यायालय, अमरोहा।	
18-	20.02.2018 - 28.02.2020		अपर जिला न्यायाधीश-अमरोहा	
19-	28.02.20- निरंतर		अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोस्को) अमरोहा ।	


जनपद न्यायाधीश
अमरोहा

27 MAY 2020

- 14- सर्विस ग्रेच्युटी का आगणन
(पेंशन अर्ह सेवा 10 वर्ष कम होने पर
पेंशन के स्थान पर अनुमन्य

निल

- 15- सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी का आगणन मूल वेतन 65830 + अन्तरिम सहायता 19749 +164% महगाई भत्ता 107961x49

4

23,70,867-00 रूपए (तेइस लाख सत्तर हजार आठ सौ सडसठ) मात्र
अपुनरीक्षित वेतनमान में सेवनिवृत्ति उपादान राशिकी अधिकतम सीमा 10,00,000-00
रूपए (दस लाख) मात्र

- 16- मृत्यु ग्रेच्युटी की धनराशि से कटौती
17- शुद्धसेवा सेवानिवृत्त उपादान धनराशि
18- पारिवारिक पेंशन का आगणन

निल

10,00,000-00 रूपए (दस लाख) मात्र

- (क) सामान्य दर
(ख) पारिवारिक पेंशन की बढी हुई दर

25673-70 अर्थात 25674.00

42790-00

दिनांक 01.08.2020 से दिनांक 31.07.2025 तक 42,790-00 पारिवारिक पेंशन बढी हुई दर तदुपरान्त अन्तिम आहरित मूल पेंशन का नियमानुसार 30 प्रतिशत श्रीमती कमलेश को पारिवारिक पेंशन मृत्यु एवं पुर्नविवाह होने तक देय ।

- 19- सेवानिवृत्ति पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ होने का तिथि 01 अगस्त 2020
20- पेंशन का भाग अथवा धनराशि जिसका राशिकरण अनुमन्य है 50 प्रतिशत

- 21-राशिकृत मूल्य का आगणन

21,395x 8.194 x12

= 21,03,727-56 अर्थात 21.03,728.00 रूपए

(इक्कीस लाख तीन हजार सात सौ अट्ठाईस) मात्र

- 22 राशिकरण के उपरान्त अनुमन्य पेंशन की धनराशि रू0

21395-00

- 23- कोषागार का नाम जहां से पेंशन,
ग्रेच्युटी /राशिकरण के भुगतान आहरित किये जायेगे।

मेरठ।

- 24- अन्तिम पेंशन / पारिवारिक पेंशन
(यदि कोई स्वीकृत की गई हो)

जी नहीं

- 25- अन्तिम सेवानिवृत्ति / मृत्यु ग्रेच्युटी

जी नही (यदि कोई स्वीकृत की गई हो)

- 26- पेंशन प्रपत्रों के प्रेषण की तिथि के पूर्व अर्थात दिनांक
(यदि तिथि सेवानिवृत्ति के ठीक आठ माह पूर्व की होनी चाहिए) तक :-

(1) भवन निर्माण में से रू0 X की धनराशि देना शेष है / कोई धनराशि शेष है।

(2) मोटर कार / मोटर साईकिल /स्कूटर /मोपेड आदि अग्रिम में से रू0 X..... की कोई धनराशि शेष नहीं है।

(3) किसी अन्य प्रकार के अग्रिम में से रू0 X..... की कोई धनराशि शेष नहीं है।

(4) सरकारी भवन में आवास करने हेतु दिनांक X..... तक रू0 X..... की धनराशि किराये के रू0 में अवशेष है / कोई धनराशि अवशेष नहीं है। तथा सेवानिवृत्तिके दिनांक X.....तक रू0X..... और देना शेष रह जायेगा।

(5) आडिट के परिणामस्वरूप रू0 X..... की कोई धनराशि शेष नहीं है।

(6) विभागीय अथवा किसी अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप रू0 X..... की कोई धनराशि शेष नहीं है।

(7) अन्य मदों में (मद स्पष्ट की जाये) रू0 X..... की कोई धनराशि देय नहीं है।

(8) श्री सुरेश चन्द-Ist के विरुद्ध कोई वैभागीक अथवा प्रशासनिक जांच लम्बित नहीं है।

(विभागाध्यक्ष/ कार्यालयध्यक्ष के हस्ताक्षर)

पद का नाम

अदेयता प्रमाण-पत्र

प्रभारी अधिकारी नजारत , पुस्तकालय ,लेखा एवं बिल्लस एवं कम्प्यूटर अनुभाग से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेश चन्द, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-2, सहारनपुर की ओर इस न्यायपीठ का कोई देय शेष नहीं है।

S. S. Nay
प्रशासनिक अधिकारी 24.4.20
जजी, सहारनपुर के अधिकारी
24-04-14 प्रमाणित जिला जज
सहारनपुर

S. S. Nay

17/3/20


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पोक्सो एक्ट-2
अमरोहा

27 MAY 2020


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कासगंज ।

अदेयता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग, केन्द्रीय नजारत, पुस्तकालय अनुभाग एवं कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय, कासगंज की आख्यानुसार श्री सुरेश चन्द, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 4, कासगंज पर जनपद न्यायालय, कासगंज से सम्बन्धित कोई देय अवशेष नहीं है।


I/c जनपद न्यायाधीश
कासगंज।
00125201
District Judge
Kasganj

Self Attested


17/3/20

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पोक्सो एक्ट-2
अमरोहा

27 MAY 2020

Enclosure -1

This Deed of Indemnity, is made on the.....27.....day of**March****2020**.....corresponding to Saka Samvat the ...wednesday...of by Sri Suresh Chand-I S/o Shri Balram Singh resident House No 72, Vsita Vila Ansal Town Modipuram Bai Pass Road Meerut, Uttar Pradesh (Bounden) in Favour of the Governor of Uttar Pradesh (Called "the Governor") ...Called the Additional District Judge

Whereas :

5. The Bounden above named was/is in the service of the Government of Uttar Pradesh (Called "the Governor") as (designation) inAs **Additional District Judge..(Posco)**.....(name of office).....**Amroha Judgeship**.....
6. The Bounden above named has retired / is due for retirement on 30.06.2020
7. A "No demand certificate" is required to be issued in favor of the Bounden by **Hon'ble High Court Allahabad** before sanction of pension, gratuity, etc. to the Bounden but the said certificate could not be issued so far and the scrutiny records for that purpose is likely further time.
8. The Government is willing to sanction pension and gratuity etc. to the Bounden on condition that the Bounden shall execute a bond, being these presents, to indemnify and see harmless the Government from any loss which the Government may incur by reason of any moneys found due against the Bounden within a period of two years from the date of retirement of the Bounden. Now this deed witness-

(1) In consideration of Government agreeing to sanction pension and gratuity, etc. to the bounded before issue of "No demand certificate" in his favor, the Bounden hereby convents with the Government that of two years form the date of retirement of the Bounden, to be due against him.

(2) Any amount due under this deed may, on the certificate of **Hon'ble High Court, Allahabad** which shall be final, conclusive and binding on the Bounden, be recovered from him as arrears of land revenue.

In witness to the above written bond and the condition thereof the Bounden has signed hereunder on the day and year first above written.

The stamp duty on this instrument will be borne by the Government.

Witness :


1-..Bintesh Kumar

Address Bill Clerk District Court Amroha.

2-...Deepak Rastogee

Address. Asst. Account Clerk

Signed by :


Bounden
जनपद न्यायाधीश
अमरोहा